

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	रजि० नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/43/2020	2020/00073	18-09-2020	15-02-2021

01- रामशरण पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम चौढाणिया तहसील बानसूर जिला अलवर।
-अपीलांत

बनाम

01- नायब तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर।

-रैस्प०

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बानसूर
दिनांक 09.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 18/2020

उपस्थित:-

01-श्री नरेश चौधरी

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-


अपीलांत ने यह अपील नायब तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 09.09.2020 जिसके द्वारा अपीलांत को ग्राम चौढाणिया की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 660 रकबा 8.17 है० में से 0.50 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर रैस्प० को जर्गे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम चौढाणिया की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 660 रकबा 8.17 है० में से 0.50 है० पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांत को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांत को बेदखल किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि० 09.09.2020 अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश शपथ-पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांत द्वारा दिनांक 18.09.2020 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है तथा नायब तहसीलदार बानसूर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 07.10.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांत का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांत को आरोपित तीन माह की सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांत को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है तथा नायब तहसीलदार बानसूर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलांत का वर्तमान में अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलांत उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है तो अपीलांत के विरुद्ध धारा 91(6) के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15-02-2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कमलराम मीना)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)